

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पथ-प्रथम), सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.45 / पीएण्डएम-II / परिपत्र/ ०७ / ५२

दिनांक २१/७/ २००७

परिपत्र-१ (2007-08)

प्रायः यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु के पश्चात विभाग द्वारा सड़क मरम्मत अभियान में डामर सड़कों पर पेज रिपयेर आदि का कार्य तो सम्पन्न करा दिया जाता है, लेकिन शोल्डर्स की मरम्मत अभियान के तहत पूरी तरह से नहीं हो पाती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पेच रिपयेर के साथ-साथ कार्यप्रभारी कर्मचारियों को लगाकर सड़कों पर शोल्डर्स की मरम्मत की जावे, ताकि इन कर्मचारियों की सेवा का समुचित लाभ लिया जा सके। पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गेंग की पिंक बुक भरी जावें व कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये कार्य की माप भी चेक की जावे।

मुख्य अभियन्ता (पथ प्रथम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक विभाग जोन. (समस्त)
2. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक विभाग वृत्त (समस्त)
3. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक विभाग खण्ड (समस्त)

मुख्य अभियन्ता (पथ प्रथम)